सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन,रायपुर

अधिसूचना

रायपुर,दिनॉक12-अक्टूबर,2006

कमांक एफ 2–10/06/1/6 सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 (क0 22 सन् 2005) की धारा 27 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, की अधिसूचना दिनांक 9 मार्च,2006 द्वारा जारी "छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (शुल्क एवं प्रभार) नियम,2006" को एतद द्वारा निरस्त करता है तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 की उपधारा (9) के स्पष्टीकरण हेतु निम्नानुसार नियम बनाता है:– अर्थात्,

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभः–(1)इस नियम का संक्षिप्त नाम "**छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (शुल्क एवं प्रभार) नियम, 2007**" होगा।
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होगा।
2. परिभाषाएँ:–इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–
(क) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है, सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 (कमांक 22 सन् 2005);
(ख) 'धारा' से अभिप्रेत है, उक्त अधिनियम की धारा;
(ग) 'गरीबी रेखा से नीचे' से अभिप्रेत है, कि छत्तीसगढ़ सरकार के वह नागरिक जिन्हें छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे का होना घोषित किया गया हो ;
(घ) शब्दों एवं अभिव्यक्तियों जो इन नियमों में प्रयुक्त है,किन्तु परिभाषित नही है, उसके वही अर्थ होंगे जो उनके लिए अधिनियम में दिये गये हैं।
3. अधिनियम के अधीन गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों द्वारा चाही गई जानकारी निम्न विवरण अनुसार निःशुल्क उपलब्ध करायी जाएगी:–

(एक) आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी यदि उसके जीवन से संबंधित है, तो वह जानकारी उस प्रारूप में उपलब्ध करायी जाएगी जिसमें वह मांगी गई है।
(दो) चाही गई जानकारी यदि स्वयं से संबंधित नहीं है परन्तु यदि जानकारी 50 छायाप्रति पृष्ठों (ए–4 साइज के) या तैयार करने में रूपये 100 (रूपये एक सौ केवल) के खर्च में दी जा सकती है, तो वह जानकारी चाहे गए स्वरूप में उपलब्ध करायी जाएगी।

............2

(तीन) यदि मांगी गई जानकारी 50 छायाप्रति पृष्ठों से अधिक की है या रूपये 100 (रूपये एक सौ केवल) से अधिक खर्च की है तो उक्त धारा 7(9) के अधीन कारण अभिलिखित कर आवेदक को कार्यालय में अभिलेखों,नस्तियों के अवलोकन करने का निवेदन किया जायेगा।

जो आवेदक गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों की परिभाषा में नहीं आते हैं,उन्हें नस्ती अवलोकन करने का प्रथम घंटे का शुल्क रूपये 50 (रूपये पचास केवल) होगा।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(नन्द कुमार)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क एफ 2–10/2006/1/6 :: भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड 3 के रण में इस विभाग की अधिसूचना क0 एफ 2–10/2006/1/6 दिनांक 12 अक्टूबर, का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(नन्द कुमार)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग